<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>16.11.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 14.11.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 8(4) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के ग्राम जांजगीरी स्थित रियल एस्टेट परियोजना **"विठ्ठल ग्रीन"** का भौतिक कब्जा ले लिया है, जिसका मूल्य **26.43 करोड़ रुपये** (भूमि का मूल्य 9.49 करोड़ रुपये तथा विकास कार्य का मूल्य 16.95 करोड़ रुपये) है। इस परियोजना में **354 आवासीय भूखंड और एक वाणिज्यिक भूखंड** शामिल हैं। ईडी के अधिकारियों ने स्थल पर एक साइनबोर्ड लगाया और कब्जे का नोटिस चस्पा किया। इस परियोजना का विकास मेसर्स बघेल डेवलपर्स द्वारा किया गया था, जो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के आरोपी चैतन्य बघेल की एकल स्वामित्व वाली फर्म है।

ईडी ने रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू/एसीबी द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि वर्ष 2019 से 2022 के दौरान राज्य आबकारी विभाग तथा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के माध्यम से एक शराब सिंडिकेट संचालित किया गया था। इस सिंडिकेट ने सीएसएमसीएल द्वारा खरीदी गई शराब पर अवैध कमीशन, सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की बिक्री तथा डिस्टिलरों से कमीशन प्राप्त करके 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय अर्जित की।

आगे की जांच में पता चला कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट के शीर्ष पर था और इसके द्वारा एकत्रित अवैध धनराशि का 'हिसाब' (लेखा-जोखा) रखने के लिए जिम्मेदार था। वह अपराध की आय का प्राप्तकर्ता है, जिसे उसने अपनी रियल एस्टेट परियोजना विठ्ठल ग्रीन में लेयरिंग के माध्यम से निवेश किया, जिसमें भूमि की खरीद भी शामिल है, और इस प्रकार विकसित परिसंपत्तियों को बेदाग संपत्ति के रूप में दर्शाया। उसकी रियल एस्टेट परियोजना में 18.90 करोड़ रुपये की अपराध की आय निवेश की गई, जिसमें 10 करोड़ रुपये नकद तथा 8.90 करोड़ रुपये उसकी फर्मों के माध्यम से नकदी के विरुद्ध बैंक प्रविष्टियों के रूप में लगाए गए।

ईडी ने उसे जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था और उसके विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है। ईडी ने नवंबर 2025 में विठ्ठल ग्रीन परियोजना तथा जिला दुर्ग में स्थित कृषि भूमि सहित उसकी संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। माननीय निर्णायक प्राधिकारी (पीएमएलए), नई दिल्ली ने मार्च 2026 में उक्त कुर्की की पुष्टि की।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।